

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—34 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. दीनानाथ निषाद उर्फ गोली पुत्र राम राज नि० डडहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—179/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. जिलेबी लाल पुत्र रामजिले नि० मुण्डेरवा सरहदी थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—144/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अनिल सोनकर पुत्र जुबकेश नि० शक्ती पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—253/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. संदीप पासवान पुत्र स्व० कुन्नन पासवान नि० बेलवा नोहर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—347/20, 02. श्रीमती भानुमती पत्नी काशी राम नि० लीला बभनी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—348/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गोण्डा।** शनिवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त मो० वाहिद पुत्र शरीफ नि० वार्ड नं०—03 कस्बा कटराबाजार थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु०अ०सं०—192/20, धारा 323.324.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 28.08.2020 को वादी जुनेद अहमद पुत्र मुनीर अहमद नि० वार्ड नं०—3 मोहल्ला जलाल टोला प्रथम नगर पंचायत कस्बा कटराबाजार जनपद गोण्डा व वादी के भतीजे सरफराज को गाली—गुप्ता देते हुए मारा—पीटा था तथा सरफराज के ऊपर चाकू से वार कर दिया था। जिससे वादी जुनेद अहमद मौके पर बेहोश हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

**गोण्डा।** शनिवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त रामपति पुत्र भगौती नि० हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु०अ०सं०—288/20, धारा 324. 323.504.427.325.308 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 16.08.2020 को पुरानी रंजिश के चलते वादी श्री रामबरन पुत्र अनन्तराम धोबी नि० धोबीपुरवा मौजा अर्जुनपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गाली—गुप्ता देते हुए मारा पीटा था। जिससे वादी मौके पर बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने उक्त वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने मारपीट करने के वांछित अभियुक्त भगन पुत्र दुलारे नि० पारासराय लसकरिया पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को थाना इटियाथोक पर पंजीकृत मु०अ०सं०—240/20, धारा 323.324.325.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 04.07.2020 को पुरानी रंजिश के चलते वादी तपस्सी पुत्र हरदास नि० पारासराय लसकरियापुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को गाली-गुप्ता देते हुए मारा पीटा था तथा जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## थाना खोड़ारे ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो० वकील पुत्र छितई नि० भरपुरवा मौजा अलाउद्दीन थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—203/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 29.08.2020 को थाना खोड़ारे के उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश मय हमराह के साथ आगामी मोहर्रम त्यौहार के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुरावडीह चौराहे के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० चन्द्रशेखर प्रकाश।

02. का० बृजेश भारती।

## थाना छपिया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रवि मिश्रा पुत्र जसप्रकाश मिश्रा नि० बभनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—304/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 29.08.2020 को थाना छपिया के उ०नि० कन्हैया दीक्षित मय हमराह के साथ आगामी मोहर्रम त्यौहार के मद्देनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे। मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 कन्हैया दीक्षित।
02. का0 दीपक गुप्ता।
03. का0 अरुण कुमार।